अतिआवश्यक–COVID-19

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

क्रमांक पं.17( )न्याय/कोरोना/2020/ 3405 दिनांकः– 26.04.2020

::आदेश::

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक पं.33(2)गह–9/2019 जयपुर दिनांक 25.04.2020 द्वारा दिनांक 15.04.2020 की निरन्तरता में लॉकडाउन कियान्विति में द्वितीय संशोधन करते हुये निम्नानुसार गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है। अतः निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैः–

I. संशोधित लॉकडाउन के दौरान अनुमत गतिविधिया (शहरी एवं ग्रामीण):– (20 अप्रैल से 3 मई 2020 तक) (नोट–कर्फ्यूग्रस्त/हॉटस्पॉट क्षेत्र में लागू नही)

1- बिजली के पंखे की दुकाने
2- प्रीपेड मोबाईल कनेक्शन के रिचार्ज के लिये आउटलेट
3- छात्रों के लिये शैक्षिक पुस्तकों की दुकाने
4- चश्में की दुकानें।
5- कृषि, उद्यानिकी एवं संबंद्ध गतिविधियां
6- कृषि या उद्यानिकी से संबधित वस्तुओं जैसे खाद्य, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रंखला से संबंधित अन्य सामानों की बिक्री की दुकाने
7- कृषि की सभी कटाई एवं खेती के संचालन/गतिविधियां, कृषि श्रमिकों सहित
8- अनाज, सब्जी एवं फल मण्डियां
9- कृषि/उद्यानिकी उत्पादों का विक्रय
10- मधुमक्खी पालन
11- डेयरी–आपूर्ति श्रंखला की चारा, दूध उत्पादन प्रसंस्करण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय आदि से संबंधित सभी गतिविधियां
12- मत्स्य आखेट जलीय कृषि उद्योग जिसमे फिडिंग एवं संधारण, कटाई, संस्करण पैकेजिंग, कोल्ड चैन, बिक्री और विपणन शामिल है।
13- हैचरी, चारा संयंत्र, वाणिज्यिक एक्वेरिया
14- पॉल्ट्री फार्म्स, हैचरी, और पशुधन खेती गतिविधियां सहित पशुपालन
15- गौशाला एवं पशु आश्रयगृह
16- निर्यात एवं आयात की सुविधाऐं जैसे पैक हाउस, बीज और बागवानी उत्पादन के लिये निरीक्षण और उपचार की सुविधा।
17- कृषि और बागवानी गतिविधियां से संबंधित अनुसंधान प्रतिष्ठान
18- रोपण सामग्री और शहद मधुमक्खी कॉलोनी, शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों का अन्तरा/अन्तराज्यीय आवागमन
19- वर्तमान में संचालित दुकाने राज्य सरकार द्वारा (सूचीबद्ध दुकाने) अनुमत दुकान यथा मेडिकल स्टोर, किराना दुकाने, डेयरी, फल सब्जी की दुकाने आदि यथावत खुले रहेंगीं।

Scanned by CamScanner

II. विशेष रूप से सूचीबद्ध दुकानों की अनुमत श्रेणी के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार की दुकाने भी खोली जा सकती है'

1. **नगर निगम/परिषद/पालिका सीमा के भीतरः–(शहरी क्षेत्र)**
   सभी एकल दुकाने (1) ''पडोस की दुकाने'' (2) स्टेण्ड–अलोन दुकाने (3) आवासीय परिसरों में दुकाने, श्रमिको की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ

नोट–यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें बाजार परिसरों (बाजारों) और बहू–ब्राण्ड, एकल ब्राण्ड मॉल्स की दुकाने एवं वाणिज्यक सडकों पर एक लाईन में दुकाने पूर्णतयः बन्द (CLOSE) रहेगी।

2. **नगरीय सीमा के बाहरः:–(ग्रामीण क्षेत्र)**
   सभी दुकानों जिनमें मार्केट कॉम्पलेक्स (बाजार/शॉपींग कॉम्पलेक्स शामिल है) श्रमिकों की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ।

नोट–इसमें बहु ब्राण्ड एवं एकल ब्राण्ड मॉल्स की दुकाने शामिल नही है।
(इसमें भी ग्रामीण हॉट बाजार या 5 या 5 से अधिक दुकाने होने पर दुकाने खोलने की अनुमति नही होगी।)

III. सामाजिक क्षेत्रः:–

1. शिशु/दिव्यांगों/मानसिक रूप से विकलांग/वरिष्ठ नागरिक/महिलाओं के लिये आश्रयगृहों का संचालन
2. सुधारगृह देखभाल घरों तथा किशोरों के लिये सुरक्षित स्थान
3. घरों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक को अटेन्डेन्ट एवं देखभाल करनें वाले।

IV. राष्ट्रीय राजमार्गो (हाईवे) पर स्थित दुकानेः–

1. ट्रकों की मरम्मत के लिये कार्यशाला/स्पेयर पार्टस/दुकानें
2. उचित दूरी पर टायर, पंक्चर/रिपेयर की दुकाने।
3. भोजन हेतु उचित दूरी पर ढाबें (जैसे–40 किलोमीटर) पर आउटडोर खाने की सुविधा

पैरा I से IV तक में यह स्पष्ट किया जाता है कि ''दुकान'' शब्द से केवल सीमित ऐसे आउटलेट से है जो वस्तु और उत्पादकों को बेचते है लेकिन जिसमें राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत अन्य प्रतिष्ठान/दुकान/मॉल्स निम्नानुसार पूर्णतयः बन्द (CLOSE) रहेगी–

1. रेस्टोरेन्ट, भोजनालय
2. नाई की दुकान, सैलून, पार्लर्स
3. मदिरा की दुकाने
4. राज्य सरकार द्वारा अनुमत, खुलने वाली उक्त सभी प्रकार की दुकानों के लिये दिनांक 15.04.2020 को जारी किये गये आदेश की शर्ते लागू होगी।

Scanned by CamScanner

- उक्त आदेश/अनुमत गतिविधियां आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं मेडिकल प्रोटॉकॉल के अधीन निम्न शर्तो के अधीन जारी होगी–

1. कम से कम लोग घरो से बाहर निकले इसको दृष्टिगत रखते हुये आवश्यक वस्तुओं की "होम डिलेवरी" को आसान बनाये एवं प्रोत्साहित करें।
2. सोशल डिस्टेन्सिंग की पालना सुनिश्चित की जावेंगी।
3. मास्क पहनने की अनिवार्यता सुनिश्चित की जावेगी।
4. सेनिटाईजर, साबून, या हेण्डवॉश की इस्तेमाल की अनिवार्यता सुनिश्चित की जावेंगी
5. वर्तमान में लागू धारा 144 की पालना की जावेगी।
6. दुकानदार द्वारा जिस किसी उपभोक्ता ने मास्क नही पहन रखा है उसको सामग्री बिक्री नही की जायेगी और न ही दुकान में प्रवेश दिया जायेगा।
7. दुकानदार को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा इसकी पालना नही करने पर उक्त दुकानदार के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेंगी।
8. सभी प्रकार के दुकानदार यथासंभव होम डिलीवरी को प्रोत्साहन करेंगें।
9. किताबो की दुकानों पर भीड को रोकने के लिये माता–पिता/छात्रों को पुस्तकों की होम डिलीवेरी प्रणाली को प्रोत्साहित करना चाहिए।
10. स्कूल/कॉलेज/अन्य शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेन्टर आदि भी इस प्रकिया में आवश्यक समन्वय करेंगे और पुस्तको के लिये आदेश देने में सहायता करने के लिये ऐसी दुकानो के फोन नम्बर माता–पिता/छात्रों को दे सकते है।
11. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश की पालना सुनिश्चित करें एवं मेडिकल एडवाईजरी के अनुसार ही पालना सुनिश्चित की की जावेगी।

उक्त आदेश की पालना नही करने वालो के विरूद्ध **आपदा प्रबंधन अध्यिम 2005 एवं Rajasthan Epidemic Diseases Act 1957 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, के तहत मुकदमा/अभियोग चलाया जावेगा।**

नोट–उक्त आदेश जीरो–मोबिलिटी क्षेत्र उपखण्ड क्षेत्र बामनवास एवं गंगापुरसिटी की सम्पूर्ण नगरपरिषद क्षेत्र में लागू नही होगा तथा कोरोना वायरस से संकमित व्यक्ति पायें जाने पर संबंधित क्षेत्र/नगर परिषद आदि में स्वतः ही उक्त आदेश निरस्त माना जावेगा।

26.04.2020
(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

कमांक पं.17( ) न्याय/कोरोना/2020/3406-22

दिनांक:– 26.04.2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, गृह एवं न्याय विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
3. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, पीएचईडी विभाग जयपुर।
4. श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर।
5. महानिरीक्षक पुलिस रेंज भरतपुर।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।

Scanned by CamScanner

7. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक.. राजस्थान।

प्रतिलिपि–निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

8. जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर/गंगापुरसिटी
10. अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/गंगापुर सिटी।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर।
12. प्रभारी अधिकारी वाररूम/कन्ट्रोल रूम कलेक्ट्रेट सवाईमाधोपुर।
13. उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार मलारनाडूँगर/सवाईमाधोपुर/गंगापुरसिटी/बामनवास/बौली/खण्डार/चौथकाबरवाड़ा/वजीरपुर को भेजकर लेख है कि आप दुकानदारों से समन्वय स्थापित कर होम डिलीवरी हेतु प्रोत्साहन करें साथ ही नियमानुसार पास/अनुमति प्रदान करें।
14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर।
15. आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर/गंगापुर सिटी।
16. विकास अधिकारी पंचायत समिति, सवाईमाधोपुर/बामनवास/गंगापुर सिटी/बौली/चौथ का बरवाड़ा/मलारनाडूँगर
17. सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग सवाई माधोपुर को समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त का व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
18. निजी सहायक जिला कलक्टर/अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर

26.04.2020

जिला मजिस्ट्रेट
सवाईमाधोपुर

Scanned by CamScanner